



मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-8/JU/2024

दिनांक 17.07.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल), मुख्य लोको निरीक्षक, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 08/2024

स.नि. 14.03(5) रिले रूम में आग लगने पर कार्यवाही यदि रिले रूम में फायर अलार्म प्रणाली स्थापित है:-

(अ) रिले रूम चाबी की निगरानी और स्टेशन मास्टर एवं एस. एण्ड टी. अनुरक्षण स्टाफ के बीच सौंपने तथा लेने की प्रक्रिया:-

स्टेशन मास्टर के कमरे में एक सील बॉक्स में रिले रूम के एस. एण्ड टी. ताले की एक अतिरिक्त चाबी प्रदान की गई है। जब भी, रिले रूम के एस. एण्ड टी. ताले की चाबी निकालने की जरूरत होती है (जिसे स्टेशन पर एस. एण्ड टी. स्टाफ की अनुपलब्धता के दौरान आग जैसी आपात स्थिति में बाहर निकाला जायेगा), तो बॉक्स की सील तोड़ी जायेगी और रिले रूम चाबी रजिस्टर में इंट्राज किया जायेगा। एस. एण्ड टी. स्टाफ को सलाह दी जाएगी कि उद्देश्य पूरा होने के बाद बॉक्स को पुनः सील करें, जिसके लिए चाबी निकाली गई थी।

(ब) रिले रूम में आग लगने की स्थिति में कार्यवाही:-

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है, तो ड्यूटी का स्टेशन मास्टर तुरंत कंट्रोल फोन पर सेक्शन कंट्रोलर को और फोन/मोबाइल पर नजदीकी फायर स्टेशन को सूचित करेगा। इसके अलावा, नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा-

(i) जब स्टेशन पर एस. एण्ड टी. स्टाफ रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी के साथ उपलब्ध हो (पैनल रूम/उपकरण रूम/बैटरी रूम/ड्यूटी रूम)-

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है या रिले रूम में आग लगने/संदिग्ध का पता चलता है, एस. एण्ड टी. स्टाफ एस एम चाबी एवं एस. एण्ड टी. चाबी दोनों को ले लेगा, तुरंत रिले रूम के ताले खोलेगा और रिले रूम में दिए गए

अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग को बुझा देगा। यदि जरूरत पड़ी तो, स्टेशन पर उपलब्ध अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। रिले रूम में आग को नियंत्रित करने में सहायता के लिए एस. एण्ड टी. स्टाफ स्टेशन पर उपलब्ध परिचालन और अन्य रेलवे कर्मचारियों की मदद लेगा। स्टेशन मास्टर के कमरे में फायर अलार्म पैनल पर पावती बटन होता है। इसे तभी स्वीकार किया जाएगा जब आग को नियंत्रित कर लिया गया हो। आग को नियंत्रित करने तक, फायर अलार्म हूटर का लगातार बजना, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक रेलवे कर्मचारी और आम जनता अलार्म साउंड के लिए आकर्षित हो और अधिकतम सहायता प्राप्त की जा सके।

(ii) जब स्टेशन पर एस. एण्ड टी. स्टाफ रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी के साथ उपलब्ध नहीं हो—

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है या रिले रूम में आग लगने/संदिग्ध का पता चलता है, ड्यूटी का स्टेशन मास्टर तुरंत बॉक्स की सील को तोड़कर रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी निकाल लेगा। वह रिले रूम की एस. एम. चाबी भी ले लेगा और रिले रूम खोलने के लिए इन दोनों चाबियों का उपयोग करेगा एवं रिले रूम में आग लगने की जांच करेगा और रिले रूम में दिए गए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके इसे बुझा देगा। यदि जरूरत पड़ी तो, स्टेशन पर उपलब्ध अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। स्टेशन मास्टर रिले रूम की आग को नियंत्रित करने में सहायता के लिए स्टेशन पर उपलब्ध अन्य रेलवे कर्मचारियों की मदद लेगा। स्टेशन मास्टर के कमरे में फायर अलार्म पैनल पर पावती बटन होता है। इसे तभी स्वीकार किया जाएगा जब आग को नियंत्रित कर लिया गया हो। आग को नियंत्रित करने तक, फायर अलार्म हूटर का लगातार बजना, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक रेलवे कर्मचारी और आम जनता अलार्म साउंड के लिए आकर्षित हो और अधिकतम सहायता प्राप्त की जा सके।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ. म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ